न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 01.07.2021

राजेन्द्र गुर्जर पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी बगडी पंचायत बस्सी तहसील टोडारायसिंह उचित मूल्य दुकानदार काकलवाड ग्राम पंचायत बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोक राज0

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.2021 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–

1. श्री विक्रम जैन, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनाक 26.02.2021 से श्री राजेन्द्र गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार काकलवाड तहसील टोडारायसिंह का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलाट को ग्राम पंचायत बस्सी मे काकलवाड के उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 को रेस्पोडेण्ट को प्रेषित किया गया,जिसमे यह अंकित किया गया कि दिनांक 12.10 2020 को बरवक्त निरीक्षण समय 3 बजकर [illegible] मिनट पर उचित मूल्य दुकानदार का पुत्र विक्रम दुकान की चाबी लेकर उपस्थित हुआ, दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया और उन्होने 11368.7 किलोग्राम गेहू भौतिक सत्यापन मे [illegible] बताते हुए तथा दुकान के बाहर दुकान बंद रखने सम्बन्धी सूचना [illegible] नही पायी गई थी जिस पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलांट को निलम्बित आदेश जारी कर [illegible] करने का एन्डोंसमेन्ट करते हुए आदेशिका लिखी गई, उक्त आदेशिका दिनांक 13.1[illegible]020 का कोई नोटिस अपीलांट को प्राप्त नही हुआ है। अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना उक्त आदेश पारित किया है,जो विधि सम्मत नही है क्योंकि राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आव[illegible] प्रदार्थ (वितरण का

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

विनियमन) आदेश 1976 के नियम 8 (2) यह कहता है कि "No Order Of Cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation-" अर्थात उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नही की गई है। तथाकथित शिकायतकर्ता तथा प्रवर्तन निरीक्षक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हुए है। उनकी साक्ष्य लिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया है। प्रवर्तन निरीक्षक अपीलांट से दुश्मनी रखे हुए था और इसी कारण पुनः उसके द्वारा दिनांक 27.10.2020 को एक ओर प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी टोंक को प्रेषित किया गया,उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेकर पुनः दिनांक 11.11.2020 को पत्रावली की आदेशिका मे नोटिस जारी करने का अंकन किया गया,उसमे यह भी अंकित नही किया गया कि दिनांक 13.10.2020 की आदेशिका के अनुसार अपीलांट को कोई नोटिस जारी हुआ अथवा नही और जारी हुआ तो उक्त नोटिस की तामिल अपीलांट पर हुई या नहीं। इस प्रकार उक्त आदेशिका दिनांक 13.10.2020 एवं दिनांक 11.11.2020 से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.10.2020 की आदेशिका की पालना मे अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही हुआ ओर ना ही अपीलांट को निलम्बित किये जाने की कोई सूचना दी। अपीलांट को इस बात की जानकारी नही थी कि उसे दिनांक 13.10.2020 को निलम्बित किया गया हो, और इसी कारण उसने उक्त प्राधिकार पत्र के तहत नियमानुसार उपभोक्ताओ को राशन सामग्री वितरित की गई, अपीलांट द्वारा नियमानुसार रामसहाय सैनी, राशनकार्ड सं0 200000590517, उपभोक्ता लोकेश, बाबूलाल सेनी, महेश सेनी, राजीदेवी, कैलाशी, सोहनीदेवी, नोरती देवी, पुष्पादेवी, बालू माली, राशनकार्ड सं0 200003255, राशनकार्ड सं0 009322000170, भगवानदास, मुकेश सेनी, कमलेश, मोतीलाल, मुकेश, तुलसीदेवी, को नियमानुसार राशन सामग्री वितरित की, उनके द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री प्राप्त की है,उपरोक्त व्यक्तियो को राशन सामग्री वितरित की गई है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत बस्सी मे एक दुकान व एक गोदाम किराये पर लिया हुआ था, जिसकी जानकारी जिला रसद अधिकार टोंक को भी थी, अपीलांट ने अपनी उक्त दुकान व गोदाम मे राशन सामग्री रखे जाने की अनुमति विधि अनुसार जिला रसद अधिकारी से प्राप्त कर रखी थी, अपीलांट दिनांक 12.10.2020 को बुखार से पीडित था तथा उसके खांसी -जुकाम हो रहा था और इसी कारण उसने डाक्टर की सलाह पर स्वयं को कोरन्टाईन किया हुआ था तथा घर पर रहकर ही अपना ईलाज करवा रहा था उस समय कोविड 19 माहमारी का प्रकोप था और इसी कारण अपीलांट दिनांक 12.10.2020 को उपस्थित नही हुआ,उस दिन अपीलांट का पुत्र प्रवर्तन निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ था वह दुकान व गोदाम की चाबी लेकर आया था, किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मात्र दुकान का ही भौतिक सत्यापन किया गया,उक्त गोदाम का भोतिक सत्यापन नही किया गया और दुश्मनीवश उसके विरूद्व प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के समक्ष पेश किया, जबकि अपीलांट के पास जितना पोश मशीन में स्टॉक था, उतनी ही राशन सामग्री उसके दुकान व गोदाम मे दोनो मे मिलाकर थी किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मात्र दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया,गोदाम का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई अनियमितता नही बरती है तथा पोश मशीन के अनुसार स्टॉक मौजूद था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.10.2020 को दुकान के बाहर [illegible] जाने के सम्बन्ध मे मय कारण सूचना लिखी थी जो उस समय भी लिखी हुई [illegible] किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ने जानबूझकर दुकान नही खोलने का कारण नही [illegible] किया है। राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 व 9

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दण्डात्मक धारा है।दण्डात्मक धाराओ में अपराध को साबित करने के लिये सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थी, जो पेश नही की गई है । शिकायतकर्ता मुस्तगीस मुकेश कुमार मीणा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–20 / 2021 थाना टोडारायसिंह मे दर्ज करवायी थी, उक्त एफ आई आर मे बाद अनुसंधान एफ आर न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है और उक्त एफ आई आर मे खाद्य निरीक्षक द्वारा दी गई शिकायत को सही नही माना है और इसी आधार पर एफ आर पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 12.10.2020 को बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा अप्रार्थी डीलर श्री राजेन्द्र गुर्जर सेन्टर बस्सी कांकलवाड तहसील टोडारायसिंह कि दुकान पोस कोड नं0 2827 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, दौराने निरीक्षण डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताऐं किया जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी डीलर दुकान पर उपस्थित नहीं मिले व उपस्थित मौतबिरान की उपस्थिति में डीलर के पुत्र द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया। दुकान के बाहर दुकान बंद रखने संबंधी सूचना अंकित नहीं पायी गयी। भौतिक सत्यापन में पॉस मशीन के स्टॉक के मुताबिक 11368.7 किलोग्राम गेहूं मौके पर कम पाये गये जिसका अप्रार्थी डीलर द्वारा दुरूपयोग कर कालाबाजारी मे प्रयुक्त किया गया है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र इस कार्यालय के आदेश कमांक / अभियोग / 2020 /958 दिनांक 13.10.2020 द्वारा निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस क्रमाक / अभियोजन / 971 दिनांक 13.10.2020 जारी कर अनियमितता का बिन्दूवार जवाब मांगा गया,परन्तु अप्रार्थी डीलर द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 27.10.2020 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में समाचार शीर्षक राशन डीलर की मनमानी से उपभोक्ता परेशान व शिकायत के आलोक में प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिह द्वारा ग्राम बस्सी मे मौके पर जाकर ग्राम बस्सी के खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों से सम्पर्क कर जांच कार्यवाही की तथा मौके पर उपस्थित हुये उपभोक्ताओ के बयान दर्ज किये गये व राशनकार्डों की जांच की गई। जांच में उपभोक्ताओं के बयान के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र गुर्जर सेंटर बस्सी (निलम्बित) का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 13.10.2020 को करने के उपरांत भी दुकानदार द्वारा वितरण कार्य जारी कर आदेश की अवहेलना की तथा उपस्थित उपभोक्ताओं ने बयान दर्ज कर बताया कि माह अक्टूबर 2020 में उन्हें गेहूं / चना नहीं दिया गया तथा डीलर द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशनकार्ड में प्रविष्टी भी कर दी तथा अगले दिन गेहूं / चना देने को कहा परन्तु अप्रार्थी डीलर द्वारा उन्हें गेहूं / चना माह अक्टूबर 2020 का उपलब्ध नहीं करवाया है,जबकि दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से माह अक्टूबर 2020 का पोस मशीन से ट्रांजेक्शन कर दिया गया। उपभोक्ताओं को बाद में गेहूं देने को कहकर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ के राशनकार्डों की जांच की गई जिसमें माह अक्टूबर 2020 का पोस मशीन से वितरण पाया गया,परन्तु उपभोक्ताओं ने एक स्वर में गेहूं प्राप्त नहीं होना बताया उपभोक्ता रामसहाय सैनी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, सन्नू को 50 किलोग्राम व 1 किलोग्राम चना लोकेश को 30 किलोग्राम व 1 किलोग्राम चना, [illegible] सैनी को [illegible] किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, महेश सैनी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, [illegible] देवी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, सोहनी देवी को 20 किलोग्राम गेहूं व किलोग्राम चना, नोरती देवी को 30 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, पुष्पा देवी को 30 किलोग्राम गेहूं व 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

किलोग्राम चना, बालू माली को 1 किलोग्राम चीनी, दिलखुश को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, दिलखुश को 50 कलोग्राम गेहू व 1 किलोग्राम चना, भगवान लाल को 50 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम दाल, मुकेश कुमार सैनी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, कमलेश को 50 किलोग्राम गेहू व 1 किलोग्राम चना, मोतीलाल को 50 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, सम्पत माली को 40 किलोग्राम गेहू व 1 किलोग्राम चना एवं तुलसी देवी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर बाद में देने का कहकर वितरण नही किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने उक्त राशनकार्डों पर जांच में पोस मशीन से गेहूं/चना निकालकर (बायोमैट्रिक सत्यापन से) उपभोक्ताओं को बाद में गेहूं/चना उपलब्ध कराने की कहकर गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों को राशन से वंचित कर राशन सामग्री का दुरूपयोग कर गबन कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है। अप्रार्थी डीलर द्वारा निलम्बित होने के उपरांत आदेश की अवहेलना कर वितरण किया तथा उपभोक्ताओं से गलत तरीके से बायोमैट्रिक सत्यापन करवाकर उन्हें राशन सामग्री से वंचित किया। उक्त राशनकार्डों पर कुल 795 किलोग्राम गेहूं व 19 किलोग्राम चना का गबन अप्रार्थी डीलर द्वारा किया गया है। अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध उक्त अनियमिततायें करना पायी जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह को अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं अप्रार्थी डीलर को कार्यालय के नोटिस कमांकः अभियोग/1149 दिनांक 01.12.2020 जारी कर जवाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 24.12.2020 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है। यह है कि उस समय वितरण जारी था एवं उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित होने की जानकारी नहीं थी इसलिए कुछ उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया। उपभोक्ताओं की भीड होने के कारण कुछ उपभोक्ता जल्दी में थे इसलिए उनको दूसरे दिन आने को कह दिया था। उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया गया है।उपभोक्ताओं की भीड अधिक हो जाने के कारण उनके अगूटे लगवाकर वितरण करना था,परन्तु उपभोक्ता ज्यादा होने एवं समय कम रहने के कारण उनको बाद में आने को कहा था। बाद में उन्हें वितरण कर दिया है।अप्रार्थी डीलर द्वारा कार्यालय के नोटिस कमांक/अभियोजन/971 दिनांक 13.10.2020 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस कमांकः अभियोग/1149 दिनांक 01.12.2020 का जवाब भी असन्तोषप्रद है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ/चने का दुरूपयोग कर खाद्य सुरक्षा के पात्र उपभोक्ताओं में वितरण नहीं कर गबन किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री राजेन्द्र गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर बररो (काकलवाड) तहसील टोडारायसिंह की जाच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कर प्रस्तुत की गई। जाच मे वक्त निरीक्षण दिनाक 12.10.2020 को डीलर दुकान पर उपस्थित नहीं मिले व उपस्थित [illegible] की उपस्थिति में डीलर के [illegible] द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया। दुकान के बाहर दुकान [illegible] संबधी सूचना अंकित नहीं पायी गयी। भौतिक सत्यापन में पॉस मशीन के [illegible] अनुसार [illegible] किलोग्राम गेहूं मौके पर कम पाये गये जिसका अप्रार्थी डीलर द्वारा दुरूपयोग कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 27.10.2020 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में समाचार शीर्षक राशन डीलर की मनमानी से उपभोक्ता परेशान व शिकायत के आलोक में प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा ग्राम बस्सी मे मौके पर जाकर ग्राम बस्सी के खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों से सम्पर्क कर जांच कार्यवाही की तथा मौके पर उपस्थित हुये उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किये गये व राशनकार्डों की जांच की गई। जांच में उपभोक्ताओं के बयान के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र गुर्जर सेंटर बस्सी (निलम्बित) का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 13.10.2020 को करने के उपरात भी दुकानदार द्वारा वितरण कार्य जारी कर आदेश की अवहेलना की तथा उपस्थित उपभोक्ताओं ने बयान दर्ज कर बताया कि माह अक्टूबर 2020 में उन्हें गेहूं/चना नहीं दिया गया तथा डीलर द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशनकार्ड में प्रविष्टी भी कर दी तथा अगले दिन गेहूं/चना देने को कहा किन्तु अप्रार्थी डीलर द्वारा उन्हें गेहूं/चना माह अक्टूबर 2020 का उपलब्ध नहीं करवाया जबकि दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से माह अक्टूबर 2020 का पोस मशीन से ट्रांजेक्शन कर दिया गया। उपभोक्ताओं को बाद में गेहू देने को कहकर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के राशनकार्डों की जांच की गई जिसमें माह अक्टूबर 2020 का पोस मशीन से वितरण पाया गया,परन्तु उपभोक्ताओं ने एक स्वर में गेहूं प्राप्त होने से मना कर दिया। उपभोक्ता रामसहाय सैनी को 40 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चना, सन्नू को 50 किलोग्राम व 1 किलोग्राम चना आदि उपभोक्ताओ को पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर बाद में देने का कहकर वितरण नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने उक्त राशनकार्डो पर जांच में पोस मशीन से गेहूं /चना निकालकर (बायोमैट्रिक सत्यापन से) उपभोक्ताओं को बाद में गेहूं / चना उपलब्ध कराने की कहकर गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों को राशन से वंचित कर राशन सामग्री का दुरूपयोग कर गबन कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है। अप्रार्थी डीलर द्वारा निलम्बित होने के उपरांत आदेश की अवहेलना कर वितरण किया तथा उपभोक्ताओं से गलत तरीके से बायोमैट्रिक सत्यापन करवाकर उन्हें राशन सामग्री से वंचित किया। उक्त राशनकार्डो पर कुल 795 किलोग्राम गेहूं व 19 किलोग्राम चना का गबन अप्रार्थी डीलर द्वारा किया गया है। अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध उक्त अनियमिततायें करना पायी जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा पुलिस थाना टोडारायसिंह में अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20 दिनांक 12.01.2021 को दर्ज करवा दी गयी है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर नही दिया गया है,परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिंनाक 24.12.2020 व 25.02.2021 पर अपीलांट के हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने वक्त जांच कम पाये गये गेहूँ/चने को अपने गोदाम मे रखे होना अंकित किया है,परन्तु उक्त गोदाम की स्वीकृति बाबत दस्तावेजात पत्रावली मे संलग्न नही है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के पेरा संख्या 5 मे उल्लेख किया है कि अपीलांट दिंनाक 12.10.2020 को बुखार से पीडित था,उसे खासी-जुकाम हो गई थी ओर इसी कारण उसने डाक्टर की सलाह पर स्वंय को कोरनटाईन किया हुआ था तथा घर पर रहकर ही अपना ईलाज करवा रहा था,परन्तु इसकी तायद मे भी अपीलांट ने कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ चने [illegible] उपभोक्ताओं को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लघंन है। अतः इसी आदेश की धारा 8 व 9 के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 26.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested